

उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य
(दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता)
नियमावली, 1987



प्रोटोकाल प्रकोष्ठ,
विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश
2007

उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य
(दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता)

नियमावली, 1987



विधान सभा सचिवालय,
उत्तर प्रदेश,
प्रोटोकाल प्रकोष्ठ,

2007

उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987^{*}

उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :-

1-इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 है। संक्षिप्त नाम

2-इस नियमावली में जब तक संदर्भ से परिभाषाएं अन्यथा अपेक्षित न हो-

क-“बुलेटिन” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा बुलेटिन से है;

(ख) “समिति” का तात्पर्य सदन की विशेषाधिकार समिति से है;

(ग) “प्रपत्र” का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है;

(घ) इस नियमावली के संबंध में “प्रारम्भ का दिनांक” या “प्रारम्भ” का तात्पर्य उस दिनांक से है जिस दिनांक को यह नियमावली दसवीं अनुसूची के पैरा 8 के उप पैरा (2) के अधीन प्रभावी होगी; **

(ङ) “सदन” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा से है;

* यह नियमावली दिनांक 23 जुलाई, 1987 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4, खण्ड (क) में प्रकाशित हुई है।

** यह नियमावली दिनांक 1 सितम्बर, 1986 को सदन के पटल पर रखी गयी और 30 दिन की निर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर दिनांक 28 जून, 1987 से प्रभावी हुई।

(च) किसी विधान-दल के संबंध में “नेता” का तात्पर्य उस दल के ऐसे सदस्य से है जिसे उस दल ने अपना नेता चुना है और उसके अन्तर्गत उस दल का कोई ऐसा अन्य सदस्य भी है जो उसकी अनुपस्थिति में इस नियमावली के प्रयोजनार्थ उस दल के नेता के रूप में कार्य करने या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उस दल के द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है;

(छ) “सदस्य” का तात्पर्य सदन के सदस्य से है;

(ज) “दसवीं अनुसूची” का तात्पर्य भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची से है;

(झ) * “प्रमुख सचिव” का तात्पर्य सदन के *प्रमुख सचिव से है और उसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जो *प्रमुख सचिव के कर्तव्यों का तत्समय निर्वहन कर रहा है।

विधान-दल के नेता
द्वारा कतिपय
जानकारी का दिया
जाना

3-(1) प्रत्येक विधान-दल का नेता, जो ऐसे दल से भिन्न हो, जिसमें केवल एक सदस्य है, सदन की पहली बैठक के दिनांक से तीस दिन के भीतर, या जहां ऐसे विधान दल का गठन ऐसे दिनांक के बाद किया गया है वहां उसके गठन के दिनांक से तीस दिन के भीतर तथा प्रत्येक स्थिति में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अनुज्ञा अध्यक्ष पर्याप्त कारण के आधार पर दें, अध्यक्ष को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :-

(क) प्रपत्र-1 में लेखबद्ध विवरण-पत्र जिसमें ऐसे विधान-दल के सदस्यों के नाम तथा अन्य विवरण होंगे;

* उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) (संशोधन) नियमावली, 2003 के नियम-2 (झ) की अपेक्षानुसार दिनांक 6 नवम्बर, 2002 से “सचिव” के स्थान पर शब्द “प्रमुख सचिव” प्रतिस्थापित किये गये।

(ख) ऐसे विधान-दल के उस प्रत्येक सदस्य का नाम तथा पदनाम जो इस दल का नेता चुना गया है, या जिसे नियम-2 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ ऐसे नेता के रूप में कार्य करने या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत किया गया है;

(ग) ऐसे विधान-दल के उन सदस्यों के नाम तथा पदनाम जो इस नियमावली के प्रयोजनार्थ अध्यक्ष से पत्र-व्यवहार करने के लिये प्राधिकृत किये गये हैं;

(घ) ऐसे विधान-दल के तथा उसके सदस्य जिस राजनीतिक दल से सम्बद्ध हैं उस राजनीतिक दल के संविधान तथा नियमावली (चाहे उसे जिस नाम से जाना जाता हो) की एक-एक प्रति।

(2) जहां किसी विधान-दल में केवल एक सदस्य है वहां ऐसा सदस्य सदन की पहली बैठक के दिनांक से तीस दिन के भीतर या जहां वह ऐसे दिनांक के बाद सदन का सदस्य बना है वहां सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के दिनांक से तीस दिन के भीतर तथा प्रत्येक स्थिति में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अनुज्ञा अध्यक्ष पर्याप्त कारण के आधार पर दें, अध्यक्ष को उप-नियम (1) के खण्ड (घ) में उल्लिखित संविधान तथा नियमावली की प्रतियां भेजेगा।

(3) ऐसे किसी विधान-दल की, जिसमें केवल एक सदस्य है, संख्या में वृद्धि होने पर, उप-नियम (1) के उपबन्ध ऐसे विधान-दल के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, मानो उस विधान-दल का गठन उस दिनांक को किया गया है जिस दिनांक पर उसकी संख्या में वृद्धि हुई है।

(4) जब कभी किसी विधान-दल के नेता द्वारा उप-नियम (1) के अन्तर्गत या किसी सदस्य द्वारा उप-नियम (2) के अन्तर्गत दी गई सूचना में कोई परिवर्तन होता है तो वह उसके पश्चात् दस दिन के भीतर अथवा ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अनुज्ञा अध्यक्ष पर्याप्त कारण के आधार पर दें, अध्यक्ष को ऐसे परिवर्तन की लिखित सूचना देगा।

(5) इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक पर विद्यमान सदन की स्थिति में उप-नियम (1) और उप-नियम (2) में सदन की पहली बैठक की तारीख के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जायगा कि वह इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक के प्रति निर्देश हैं।

अनधिकृत मतदान करने या करने से विरत रहने की जानकारी का दिया जाना

4-जहां किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य ऐसे राजनीतिक दल द्वारा जिसका वह सदस्य है अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गये किसी निदेश के विरुद्ध ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है वहां संबंधित विधान-दल का नेता ऐसे मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रपत्र-2 में अध्यक्ष को निम्नलिखित सूचना देगा, अर्थात् :-

(क) जो निदेश जारी किए गए हैं उसका विवरण और यदि लिखित निदेश जारी किए गये हैं तो उसकी प्रति;

(ख) क्या ऐसे सदस्य ने खण्ड (क) में निर्दिष्ट निदेश के विरुद्ध मतदान किया या वह मतदान करने से विरत रहा;

(ग) मतदान करने से पूर्व ऐसे सदस्य ने ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की या नहीं;

(घ) ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे सदस्य को माफ किया है या नहीं।

5-(1) ऐसा प्रत्येक सदस्य जिसने इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व सदन में अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, ऐसे दिनांक से तीस दिन के भीतर अथवा ऐसी आगे की अवधि के भीतर जिसकी अनुमति अध्यक्ष पर्याप्त कारण से दें, प्रपत्र-3 में विशिष्टियों का एक विवरण और घोषणा प्रमुख सचिव को भेजेगा।

सदस्यों द्वारा सूचना आदि का दिया जाना

(2) प्रत्येक सदस्य, जो इस नियमावली के प्रारम्भ के पश्चात् सदन में अपना स्थान ग्रहण करता है, संविधान के अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व प्रमुख सचिव के पास, यथास्थिति, अपना निर्वाचन प्रमाण-पत्र या उसे सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना की प्रमाणित प्रति जमा कराएगा और प्रपत्र-3 में विशिष्टियों का एक विवरण और घोषणा प्रमुख सचिव को देगा।

स्पष्टीकरण-इस उपनियम के प्रयोजन के लिये “निर्वाचन प्रमाण-पत्र” का तात्पर्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के अधीन जारी किए गये निर्वाचन प्रमाण-पत्र से है।

(3) इस नियम के अधीन सदस्य जो जानकारी देंगे उसको बुलेटिन में प्रकाशित किया जायेगा और यदि अध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में उसमें कोई विसंगति बताई जाती है तो बुलेटिन में आवश्यक शुद्धि-पत्र प्रकाशित किया जायेगा।

सदस्यों के बारे में जानकारी का रजिस्टर

6-(1) प्रमुख सचिव, प्रपत्र-4 में एक रजिस्टर रखेगा जो सदस्यों के संबंध में नियम-3, नियम-4 और नियम-5 के अधीन जानकारी पर आधारित होगा।

(2) प्रत्येक सदस्य के संबंध में जानकारी, रजिस्टर में पृथक पृष्ठ पर अभिलिखित की जायेगी।

निर्देश का याचिका द्वारा किया जाना

7-(1) कोई सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है, या नहीं इस प्रश्न का निर्देश उस सदस्य के संबंध में इस नियम के उपबन्धों के अनुसार दी गई याचिका द्वारा ही किया जायेगा अन्यथा नहीं।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई याचिका किसी व्यक्ति द्वारा प्रमुख सचिव को लिखित रूप में दी जा सकेगी।

(3) प्रमुख सचिव,-

(क) उप-नियम (2) के अधीन दी गई याचिका की प्राप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र उसकी सूचना बुलेटिन में प्रकाशित करेगा, और

(ख) दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (1) के परन्तुक के अनुसरण में सदन द्वारा किसी सदस्य के निर्वाचित किये जाने के पश्चात् याचिका को यथाशीघ्र उस सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(4) प्रत्येक, याचिका-

(क) में उन तात्त्विक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा, जिन पर याचिका आधारित है, और

(ख) के साथ ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की, यदि कोई हों, प्रतियां संलग्न होंगी, जिस पर याची निर्भर करता है, और जहां याची किसी व्यक्ति द्वारा उसे दी गई किसी जानकारी पर निर्भर करता है, वहां उन व्यक्तियों के नाम और पते सहित विवरण और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दी गई ऐसी जानकारी का सारांश संलग्न होगा।

(5) प्रत्येक याचिका पर याची के हस्ताक्षर होंगे और उसे अभिवचनों के सत्यापन के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में अधिकथित रीति से सत्यापित किया जायेगा।

(6) याचिका के प्रत्येक उपाबन्ध पर भी याची के हस्ताक्षर होंगे और उसे याचिका के समान रीति से ही सत्यापित किया जायेगा।

8-(1) नियम 7 के अधीन याचिका प्राप्त होने पर अध्यक्ष प्रक्रिया इस बात पर विचार करेंगे कि क्या याचिका उक्त नियम की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है।

(2) यदि याचिका नियम 7 की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है तो अध्यक्ष याचिका को रद्द करेंगे और याची को तद्नुसार संसूचित करेंगे।

(3) यदि याचिका नियम 7 की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है, तो अध्यक्ष याचिका और उसके उपाबन्धों की प्रतियां-

(क) उस सदस्य को भिजवायेंगे, जिसके सम्बन्ध में याचिका दी गई है ; और

(ख) जहां ऐसा सदस्य किसी विधान-दल का है और ऐसी याचिका उस दल के नेता ने नहीं दी है वहां ऐसे नेता को भी भिजवायेंगे ;

और ऐसा सदस्य या नेता, ऐसी प्रतियों की प्राप्ति से सात दिन के भीतर, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसकी अनुज्ञा अध्यक्ष पर्याप्त कारण के आधार पर दें, उस पर अपनी लिखित टिप्पणियां अध्यक्ष को भेजेगा।

(4) याचिका के सम्बन्ध में अनुज्ञात अवधि के भीतर, उप-नियम (3) के अधीन प्राप्त टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् अध्यक्ष या तो प्रश्न का अवधारण करने के लिये अग्रसर होंगे या, यदि उनका उस मामले की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह याचिका की प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये उसे समिति को निर्दिष्ट करेंगे।

(5) अध्यक्ष, उप-नियम (4) के अधीन समिति को याचिका निर्दिष्ट करने के पश्चात् यथाशीघ्र, याची को तदनुसार सूचित करेंगे और ऐसे निर्देश के सम्बन्ध में सदन में घोषणा करेंगे या, यदि सदन का सत्र उस समय नहीं चल रहा है तो उस निर्देश की सूचना बुलेटिन में प्रकाशित करायेंगे।

(6) जहां अध्यक्ष समिति को उप-नियम (4) के अधीन निर्देश करते हैं, वहां वह समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र उस प्रश्न का अवधारण करेंगे।

(7) वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण अध्यक्ष उप-नियम (4) के अधीन किसी प्रश्न के अवधारण के लिये करेंगे और वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण समिति प्रारम्भिक जांच के प्रयोजन के लिये करेगी, यथासम्भव, वही प्रक्रिया होगी जिसका समिति किसी सदस्य द्वारा सदन के विशेषाधिकार को भंग किये जाने के किसी प्रश्न का अवधारण करने के लिये अनुसरण करती है और अध्यक्ष या समिति इस निष्कर्ष पर कि वह सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरहता से ग्रस्त हो गया है, तभी पहुंचेंगे जबकि उस सदस्य को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का और व्यक्तिगत रूप से और यदि वह चाहता है तो, उसकी इच्छानुसार परामर्शी की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

(8) उप-नियम (1) से (7) तक के उपबन्ध अध्यक्ष के सम्बन्ध में दी गयी याचिका के बारे में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी अन्य सदस्य के सम्बन्ध में दी गई याचिका के बारे में लागू होते हैं तथा इस प्रयोजनार्थ, इन उपनियमों में अध्यक्ष के प्रति निर्देश का अर्थ दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (1) के परन्तुक के अन्तर्गत सदन द्वारा निर्वाचित सदस्य के प्रति निर्देश सहित लगाया जायगा।

9-(1) याचिका पर विचार पूरा होने के पश्चात् याचिका यथास्थिति, अध्यक्ष या दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (1) के परन्तुक के अधीन निर्वाचित सदस्य लिखित पर विनिश्चय आदेश द्वारा :--

(क) याचिका को खारिज करेंगे, या

(ख) यह घोषणा करेंगे कि वह सदस्य जिसके सम्बन्ध में याचिका दी गयी है, दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है,

और उस आदेश की प्रतियां याची को, उस सदस्य को, जिसके सम्बन्ध में याचिका दी गयी है, और सम्बन्धित विधान-दल के नेता को, यदि कोई हो, परिदत्त या अग्रेषित करवायेंगे।

(2) ऐसा प्रत्येक विनिश्चय, जिसमें किसी सदस्य को दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त घोषित किया गया है सदन को, यदि वह सत्र में है, तुरन्त रिपोर्ट किया जायेगा और यदि सदन सत्र में नहीं है तो सदन के पुनः सम्मेलन होने के तुरन्त पश्चात् रिपोर्ट किया जायगा।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक विनिश्चय बुलेटिन में प्रकाशित किया जायेगा और राजपत्र में अधिसूचित किया जायगा तथा प्रमुख सचिव उस विनिश्चय की प्रतियां भारत के निर्वाचन आयोग को और राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

इन नियमों
के विस्तृत
कार्यकरण के
सम्बन्ध में
निदेश

10-अध्यक्ष, समय-समय पर ऐसे निदेश जारी कर
सकेंगे जो वह इस नियमावली के विस्तृत कार्यकरण के बारे
में आवश्यक समझें ।

प्रपत्र-1

[देखिए नियम 3(1) (क)]

तत्स्थानी राजनीतिक दल का नाम :

विधान-दल का नाम

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	किस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हैं
1	2	3	4	5

विधान दल के नेता के हस्ताक्षर

दिनांक :

प्रपत्र-2

(देखिये नियम 4)

सेवा में,

अध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश विधान सभा।

महोदय,

सदन की.....दिनांक को हुई बैठक में विषय पर हुए मतदान के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना दे रहा हूं :--

1-उपरोक्त मतदान के निमित्त निदेश देने के लिए प्राधिकृत

.....
 (व्यक्ति/प्राधिकारी/दल) द्वारा जारी किये गये निदेशों का/की विवरण/प्रति।

2-श्री.....

सदस्य, विधान सभा, जो.....
 (राजनीतिक दल का नाम) के सदस्य तथा जो.....
 (विधान दल का नाम) के हैं, ने.....

(व्यक्ति/प्राधिकारी/दल) द्वारा दिये गये निदेशों के विरुद्ध उक्त व्यक्ति*/प्राधिकारी/दल की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना मतदान किया है*/मतदान करने से विरत रहा है।

3-मतदान करने से पूर्व उपरोक्त सदस्य ने

*(व्यक्ति */प्राधिकारी/दल) की अनुज्ञा प्राप्त की है/*नहीं की है।

4-उपरोक्त मतदान के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर अर्थात्(दिनांक) को पूर्वोक्त मामले पर

विचार किया गया और उक्त मतदान करने*/मतदान करने से विरत रहने को, उसके द्वारा माफ किया गया*/माफ नहीं किया गया।

भवदीय,

दिनांक :

(विधान दल के नेता के हस्ताक्षर)

*कृपया अनुपयुक्त शब्दों/अंश को काट दें।

**कृपया यहां पर यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति, प्राधिकारी, दल का नाम लिखें जिसने निदेश जारी किया है।

प्रपत्र-3

[देखिये नियम 5(1) और 5(2)]

- 1-सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)-
- 2-पिता/पति का नाम-
- 3-स्थायी पता-
- 4-लखनऊ का पता-
- 5-निर्वाचन/नाम-निर्देशन का दिनांक-
- 6-जिस दल से सम्बद्ध है/हैं-

(1) निर्वाचन/नाम-निर्देशन के दिनांक को;

(2) इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को;

घोषणा

मैंयह घोषणा करता हूँ
कि उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है।

ऊपर दी गयी जानकारी में कोई परिवर्तन होने पर, मैं अध्यक्ष महोदय को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूँ।

दिनांक :

सदस्य के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्रपत्र-4

[देखिए नियम 6(1)]

सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	लखनऊ का पता	निर्वाचन/ नाम-निर्देशन का दिनांक	जिससे वह सम्बद्ध है उस राजनीतिक दल का नाम	जिससे वह सम्बद्ध है उस विधान दल का नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त 1-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (बावनवां नाम और संशोधन) अधिनियम, 1985 है।

प्रारम्भ

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

अनुच्छेद 2-संविधान के अनुच्छेद 101 के खण्ड (3) के उप खण्ड 101 का (क) में, “अनुच्छेद 102 के खण्ड (1)” शब्द, अंक और संशोधन कोष्ठकों के स्थान पर “अनुच्छेद 102 के खण्ड (1) या खण्ड (2)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जायेंगे।

अनुच्छेद 3-संविधान के अनुच्छेद 102 में-
102 का संशोधन

(क) “(2) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये”, कोष्ठक अंक और शब्दों के स्थान पर, “स्पष्टीकरण-इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए,” शब्द रखे जायेंगे,

(ख) अन्त में निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात् :-

“(2) कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिये निरर्हित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है।”

4-संविधान के अनुच्छेद 190 के खण्ड (3) के उपखण्ड अनुच्छेद (क) में “अनुच्छेद 191 के खण्ड (1)” शब्द, अंक और 190 का कोष्ठकों के स्थान पर “अनुच्छेद 191 के खण्ड (1) या खण्ड संशोधन (2)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जायेंगे।

5-संविधान के अनुच्छेद 191 में,- अनुच्छेद

(क) “(2) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए,” कोष्ठक, 191 का अंक और शब्दों के स्थान पर “स्पष्टीकरण-इस खण्ड के संशोधन प्रयोजनों के लिये,” शब्द रखे जायेंगे,

(ख) अन्त में निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात् :-

“(2) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य होने के लिये निरर्हित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है।”

6-संविधान की नवीं अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित दसवीं अनुसूची जोड़ी जायेगी, अर्थात्-- अनुसूची का जोड़ा जाना

दसवीं अनुसूची

[अनुच्छेद 102(2) और अनुच्छेद 191 (2)]

दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबन्ध

1-निर्वचन-इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) “सदन” से संसद का कोई सदन या किसी राज्य की, यथास्थिति, विधान सभा या, विधान-मण्डल का कोई सदन अभिप्रेत है;

(ख) सदन के किसी ऐसे सदस्य के सम्बन्ध में जो, ¹ [× × ×] पैरा 2 या ¹ [× × ×] पैरा 4 के उपबन्धों के अनुसार किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, “विधान दल” से, उस सदन के ऐसे सभी सदस्यों का समूह अभिप्रेत है जो उक्त उपबन्धों के अनुसार तत्समय उस राजनीतिक दल के सदस्य हैं ;

(ग) सदन के किसी सदस्य के सम्बन्ध में, “मूल राजनीतिक दल” से ऐसा राजनीतिक दल अभिप्रेत है जिसका वह पैरा 2 के उप पैरा (1) के प्रयोजनों के लिये सदस्य है ;

(घ) “पैरा” से इस अनुसूची का पैरा अभिप्रेत है।

2-दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता-(1) ²[पैरा 4 और 5] के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिये निरर्हित होगा-

(क) यदि उसने ऐसे राजनीतिक दल की, जिसका वह सदस्य है, अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है ; या

(ख) यदि वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा जिसका वह सदस्य है अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी निर्देश के विरुद्ध, ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसे सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है और ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है।

¹ संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा-5 द्वारा (1-1-2004 से)

“यथास्थिति, पैरा-3 या” शब्दों और अंकों का लोप कर दिया गया है।

² उक्त धारा-5 द्वारा “पैरा 3, 4 और 5” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

स्पष्टीकरण-इस उप पैरा के प्रयोजनों के लिये :--

(क) सदन के किसी निर्वाचित सदस्य के बारे में यह समझा जायेगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का, यदि कोई हो, सदस्य है जिसने उसे ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी के रूप में खड़ा किया था;

(ख) सदन के किसी नाम-निर्देशित सदस्य के बारे में,-

(i) जहां वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने नाम-निर्देशन की तारीख को किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, यह समझा जायेगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का सदस्य है;

(ii) किसी अन्य दशा में यह समझा जायेगा कि वह उस राजनीतिक दल का सदस्य है जिसका वह, यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह मास की समाप्ति के पूर्व, सदस्य यथास्थिति, बनता है या पहली बार बनता है।

(2) सदन का कोई निर्वाचित सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है, सदन का सदस्य होने के लिये निरहित होगा यदि वह ऐसे निर्वाचन के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है।

(3) सदन का कोई नाम-निर्देशित सदस्य, सदन का सदस्य होने के लिये निरहित होगा, यदि वह यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह मास की समाप्ति के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है।

(4) इस पैरा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो, संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ पर, सदन का सदस्य है (चाहे वह निर्वाचित सदस्य हो या नाम-निर्देशित)-

(i) जहां वह ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले किसी राजनीतिक दल का सदस्य था वहां, इस पैरा के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जायगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी के रूप में ऐसे सदन का सदस्य निर्वाचित हुआ है;

(ii) किसी अन्य दशा में, यथास्थिति, इस पैरा के उप-पैरा (2) के प्रयोजनों के लिये, यह समझा जायेगा कि वह सदन का ऐसा निर्वाचित सदस्य है जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है या, इस पैरा के उप-पैरा (3) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जायेगा कि वह सदन का नाम-निर्देशित सदस्य है।

3-दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का दल विभाजन की दशा में लागू न होना-संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 द्वारा निरसित किया गया।

4-दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का विलय की दशा में लागू न होना-(1) सदन का कोई सदस्य पैरा 2 के उप-पैरा (1) के अधीन निरर्हित नहीं होगा यदि उसके मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है और वह यह दावा करता है कि वह और उसके मूल राजनीतिक दल के अन्य सदस्य-

(क) यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनीतिक दल के या ऐसे विलय से बने नये राजनीतिक दल के सदस्य बन गये हैं, या

(ख) उन्होंने विलय स्वीकार नहीं किया है और एक पृथक समूह के रूप में कार्य करने का विनिश्चय किया है,

और ऐसे विलय के समय से, यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनीतिक दल या नये राजनीतिक दल या समूह के बारे में यह समझा जायेगा कि वह, पैरा 2 के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिये, ऐसा राजनीतिक दल है जिसका वह सदस्य है और वह इस उप-पैरा के प्रयोजनों के लिये उसका मूल राजनीतिक दल है।

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिये, सदन के किसी सदस्य के मूल राजनीतिक दल का विलय हुआ तभी समझा जायेगा जब सम्बन्धित विधान दल के कम से कम दो तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिये सहमत हो गये हैं।

5-छूट-इस अनुसूची में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो लोक सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा राज्य सभा के उप सभापति अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् के सभापति या उप सभापति अथवा किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ है, इस अनुसूची के अधीन निरहित नहीं होगा-

(क) यदि वह, ऐसे पद पर अपने निर्वाचन के कारण, ऐसे राजनीतिक दल की जिसका वह ऐसे निर्वाचन से ठीक पहले सदस्य था, अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है और उसके पश्चात् जब तक वह पद धारण किये रहता है तब तक, उस राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित नहीं होता है या किसी दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनता है ; या

(ख) यदि वह, ऐसे पद पर अपने निर्वाचन के कारण, ऐसे राजनीतिक दल की जिसका वह ऐसे निर्वाचन से ठीक पहले सदस्य था, अपनी सदस्यता छोड़ देता है और ऐसे पद पर न

रह जाने के पश्चात् ऐसे राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है।

6-दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय-(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि सदन का कोई सदस्य इस अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न ऐसे सदन के यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष के विनिश्चय के लिये निर्देशित किया जायेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु जहां यह प्रश्न उठता है कि सदन का सभापति या अध्यक्ष निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं वहां वह प्रश्न सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चय के लिये निर्देशित किया जायेगा जिसे वह सदन इस निमित्त निर्वाचित करे और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य के निरर्हता के बारे में किसी प्रश्न के सम्बन्ध में इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन सभी कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जायेगा कि वे, यथास्थिति, अनुच्छेद 122 के अर्थ में संसद की कार्यवाहियां हैं या अनुच्छेद 212 के अर्थ में राज्य के विधान मण्डल की कार्यवाहियां हैं।

7-न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन-इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय की इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता से सम्बन्धित किसी विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी।

8-नियम-(1) इस पैरा के उप-पैरा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सदन का सभापति या अध्यक्ष, इस अनुसूची के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगा तथा विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल

प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :--

(क) सदन के विभिन्न सदस्य जिन राजनीतिक दलों के सदस्य हैं, उनके बारे में रजिस्टर या अन्य अभिलेख रखना;

(ख) ऐसी रिपोर्ट जो सदन के किसी सदस्य के सम्बन्ध में विधान-दल का नेता, उस सदस्य की बाबत पैरा 2 के उप-पैरा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की माफी के सम्बन्ध में देगा, समय जिसके भीतर और प्राधिकारी जिसको ऐसी रिपोर्ट दी जायेगी;

(ग) ऐसी रिपोर्ट जिन्हें कोई राजनीतिक दल सदन के किसी सदस्य को ऐसे राजनीतिक दल में प्रविष्ट करने के सम्बन्ध में देगा और सदन का ऐसा अधिकारी जिसको ऐसी रिपोर्ट दी जाएगी; और

(घ) पैरा 6 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रश्न का विनिश्चय करने की प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत ऐसी जांच की प्रक्रिया है, जो ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिये की जाए।

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन सदन के सभापति या अध्यक्ष द्वारा बनाया गया नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र सदन के समक्ष, कुल तीस दिन की अवधि के लिये रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। वह नियम तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर प्रभावी होगा जब तक कि उसका सदन द्वारा परिवर्तनों सहित या उनके बिना पहले ही अनुमोदन या अननुमोदन नहीं कर दिया जाता है। यदि वह नियम इस प्रकार अनुमोदित कर दिया जाता है तो वह यथास्थिति, ऐसे रूप में जिसमें वह रखा गया था या ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि नियम इस प्रकार अननुमोदित कर दिया जाता है तो वह निष्प्रभावी हो जायेगा।

(3) सदन का सभापति या अध्यक्ष, यथास्थिति, अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 194 के उपबन्धों पर और किसी ऐसी अन्य शक्ति पर जो उसे इस संविधान के अधीन है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह निदेश दे सकेगा कि इस पैरा के अधीन बनाये गये नियमों के किसी व्यक्ति द्वारा जान-बूझकर किये गये किसी उल्लंघन के बारे में उसी रीति से कार्यवाही की जाय। जिस रीति से सदन के विशेषाधिकार के भंग के बारे में की जाती है।